भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3569
जिसका उत्तर शुक्रवार, 21 मार्च, 2025 को दिया जाना है

राष्ट्रीय वाद नीति

3569. श्री सुदामा प्रसाद :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का न्यायिक सुधार के भाग के रूप में राष्ट्रीय वाद नीति (एनएलपी) लागू करने का इरादा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या मंत्रालय ने इस मुद्दे के संबंध में कोई आकलन किया है कि सरकारी मुकदमेबाजी न्यायिक लंबित मामलों में योगदान देती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) राष्ट्रीय वाद नीति के कार्यान्वयन के लिए समयबद्ध कार्य योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ग) : राष्ट्रीय मुकदमा नीति पर अंतिम विनिश्चय अभी नहीं लिया गया है ।

(ख) : मंत्रालय ने न्यायिक बैकलॉग पर सरकारी मुकदमों के प्रभाव के संबंध में कोई विशिष्ट मूल्यांकन नहीं किया है । तथापि, उसने उन न्यायालय मामलों की प्रभावी मॉनीटरिंग के लिए विधिक सूचना प्रबंधन और ब्रीफिंग प्रणाली (एलआईएमबीएस) नामक एक वेब आधारित पोर्टल विकसित किया है, जिसमें भारत संघ अंतर्वलित है । एलआईएमबीएस पोर्टल, जिसे 53 प्रयोक्ता मंत्रालयों/विभागों द्वारा अद्यतन किया गया है, के आंकड़ों के अनुसार, विभिन्न न्यायालयों/अधिकरणों, जहां भारत संघ एक पक्षकार है, में मामलों की संख्या निम्नानुसार है :

18 मार्च, 2025 तक न्यायालयवार लंबित मामले	
उच्चतम न्यायालय	19,442
उच्च न्यायालय	2,68,645
अधिकरण	2,80,650
अधीनस्थ न्यायालय	1,58,164

कुल	7,26,901

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय न्यायिक आंकड़ा ग्रिड पर डाटा दर्शित करता है कि देश के विभिन्न न्यायालयों/अधिकरणों में 5 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं। इसलिए, सरकारी मुकदमों को न्यायिक बैकलॉक का मुख्य योगदानकर्ता नहीं माना जा सकता ।

******